राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 80 / 2021 GCMS No. 2021/241

1. बलबीर सिंह उम्र 39 साल
2. सुरेन्द्र कुमार उम्र 37 साल पुत्रान महावीर नवीरा दाताराम
3. कमलेश कुमार उम्र 55 साल
4. जयप्रकाश उम्र 59 साल पुत्रान सुखीराम नवीरा दाताराम जाति खाती निवासी माकड़ो तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

..........वादीगण

बनाम

1. विधाधर पुत्र दाताराम उम्र 75 साल नवीरा गोपाल जाति खाती निवासी माकड़ो तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

..........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक

–: निर्णय :– दिनांक 28–03–2023

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम माकड़ो तहसील बुहाना स्थित गत ख.नं. 2 मिन रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा का खातेदार काश्तकार हनुमान पुत्र गोपाल जाति खाती संवत् 2012 लगा. 2015 में दर्ज रिकार्ड है उक्त खसरा नंबर का रिकार्ड संवत् 2020 नं0 2035 में हनुमान पुत्र गोपाल जाति खाती के स्थान पर जाट दर्ज कर दिया। जबकि जाट ना होकर खाती था तथा रकबा भी 1 बीघा 15 बिस्वा के बजाय 1 बीघा 13 बिस्वा दर्ज कर दिया। हनुमान पुत्र गोपाल नाऔलाद फौत हो गया। उक्त हनुमान पुत्र गोपाल वादीगण सं. 1, 2 व 4, 5 का दादा व प्रतिवादी सं. 1 का चाचा था इसलिए गत् खसरा नंबर 2 मिन के खातेदार हनुमान के वारिशान वादी सं. 1, 2 व 4, 5 तथा प्रतिवादी सं. 1 है इनमें हनुमान के उक्त खसरा नंबर में वादी सं. 1 व 2 का 1/3 हिस्सा व वादी सं. 4 व 5 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा है और इसी अनुसार काबिज काश्त है। उक्त गोपाल वादीगण का परदादा व प्रतिवादी सं. 1 का दादा था। दाताराम वादी सं. 1, 2 व 4, 5 का दादा व प्रतिवादी सं. 1 का पिता है इसलिए वादी सं. 1, 2, 4, 5 व प्रतिवादी सं. 1 हनुमान के विधिक वारिशान है तथा वो ही खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं। गत् ख.नं. 2 मिन के भू–प्रबंध विभाग ने हाल ख.नं. 30 रकबा 0.45 है. बनाये [illegible] खातेदारी में मृतक हनुमान पुत्र गोपाल को संवत् 243 से 2046 तक दर्ज रिकार्ड कि[illegible] जाति में जाट अंकित कर दिया है जबकि यह लिपिकीय गलती है और जाति खाती है [illegible] उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार हाल ख.नं. 30 रकबा 0.45 है. जो कि हनुमान पुत्र [illegible] के नाम दर्ज है के [illegible] काश्तकार वादी सं. 1, 2 व 4, 5 तथा प्रतिवादी सं. 1 घोषित [illegible]। उक्त नंबर में 1/3 [illegible] का वादी सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 12:50:17 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

1, 2, 1/3 हिस्से का वादी सं. 4, 5 व 1/3 हिस्से का प्रतिवादी सं. 1 खातेदार घोषित होंगे। इसलिए यह वाद घोषणात्मक पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि :–

(क) वाके ग्राम माकड़ो तहसील बुहाना स्थित हाल ख.नं. 30 रकबा 0.45 है. का खातेदार काश्तकार वादीसं. 1 व 2 को 1/3 हिस्से का तथा वादी सं. 4 व 5 को 1/3 हिस्से तथा प्रतिवादी सं. 1 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

(ख) विवादित भूमि में हनुमान पुत्र गोपाल जाति जाट के बजाय हनुमान पुत्र गोपाल जाति खाती कर रिकार्ड दुरूस्त कर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार घोषित किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण की ओर से पत्रावली पर राजस्व दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–14 दस्तावेज पेश किये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2075–2078 (प्रदर्श–14) में अंकित खातेदार हनुमान पुत्र गोपाल जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के हकपूर्वाधिकारी हनुमान पुत्र गोपाल की जाति जाट के स्थान पर खाती दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है है शेषांश खातेदारी अधिकारों की घोषणा सम्बंधित अनुतोष मृतक खातेदार हनुमान पुत्र गोपाल का विरासतन नामांतरकरण की कार्यवाही उनके विधिक वारिशानों की जांच कर तहसीलदार, बुहाना द्वारा किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम माकड़ो तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खाता सं. 197 में दर्ज खसरा नंबर 30 रकबा 0.45 है. में दर्ज खातेदार हनुमान पुत्र गोपाल की जाति जाट के स्थान पर जाति खाती दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त खातेदार हनुमान पुत्र गोपाल नाऔलाद फौत हो चुका है, इसलिए उक्त खातेदार के विरासतन नामांतरकरण की कार्यवाही तहसीलदार, बुहाना उनके विधिक वारिशान की जांच कर नियमानुसार करने के लिए स्वतंत्र हैं। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

यह निर्णय आज दिनांक 28/3/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 12:50:17 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,बुहाना जिलाझुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.
राजस्व वाद स. 80/2021 जीसीएमएस नम्बर :– 2021/241
निर्णय दिनांक :– 28/3/23....

बलबीर आदि **बनाम** विधाधर आदि
दावा धोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री अशोक यादव एडवोकेट की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28/3/23 को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और अंतिम डिकी दी जाती हैं कि –

" **अतः वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम माकड़ो तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खाता सं. 197 में दर्ज खसरा नंबर 30 रकबा 0.45 है. में दर्ज खातेदार** हनुमान पुत्र गोपाल की जाति जाट के स्थान पर जाति खाती दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त खातेदार हनुमान पुत्र गोपाल नाऔलाद फौत **हो चुका है, इसलिए उक्त खातेदार के विरासतन नामांतरकरण की कार्यवाही तहसीलदार, बुहाना उनके विधिक वारिशान की जांच कर नियमानुसार करने के लिए स्वतंत्र हैं। रहन यदि कोई हो तो संबन्धित खातेदार/काश्तकार को मिलने वाले हिस्से/रकबे के विरूद्ध दर्ज किया जावे।** "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 28/3/23..... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 12:50:17 IST
Reason: SelfAttested